

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक-4 / नि.1-110/18- २९०(ग्रा०)  
सेवा में,

पटना, दिनांक:- ०८/११/२०१८

कार्यपालक अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा।

विषय:- 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36-0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना शीर्ष अन्तर्गत (0001.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई के अधीन, वित्तीय वर्ष 2018-19 में, निधि का आवंटन।

FAX  
E-mail

(विपत्र कोड संख्या-36- 2215011020001)

आदेश:- उपरोक्त शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में, ₹4,41,800.00 (चार लाख एकतालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र का आवंटन लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा को श्रावणी मेला 2018 के अवसर पर जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन संबंधी कराये गये कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, लोक स्वा०अभि० अंचल, छपरा के पत्रांक-660, दिनांक-01.10.18 के प्रसंग में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार किया जाता है, जिसकी पूर्ति, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36-0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (0001.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष अन्तर्गत, वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

2. व्यय, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36-0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (0001.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत शीर्ष में भारितव्य है।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।
4. व्यय, आवंटित राशि के अन्दर ही सीमित रखें।
5. यह आवंटन, वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम.4-05/98-2561/वि.(2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-3244, दिनांक-04.05.18 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. आवंटित राशि का व्यय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत श्रावणी मेला 2018 के अवसर पर जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन संबंधी कराये गये कार्य हेतु स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार किया जायेगा। कार्य से संबंधित चलित या अंतिम विपत्र की जांच कर आश्वस्त हो लेने के उपरान्त ही कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। इस आवंटन के विरुद्ध व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र अलग से कार्यपालक अभियंता द्वारा उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
7. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जानेवाला व्यय, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. इस आवंटन के अन्तर्गत किसी प्रकार के वेतन भुगतान पर व्यय नहीं किया जायेगा।

8.11.18  
ज्ञापांक-4/नि.1-110/18- २९०(ग्रा०)

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
पटना, दिनांक:- ०८/११/२०१८

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, छपरा/प्रमंडलीय ओयुक्ट, छपरा (सारण)/जिला पदाधिकारी, छपरा/उप विकास आयुक्त, छपरा/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक/रूपांकण)/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वा०अभि० प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वा०अभि० अंचल, छपरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4A/प्रभारी सहायक (बजट)/प्रभारी डाटा कोषांग/आई.टी. मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.18  
ज्ञापांक-4/नि.1-110/18- २९०(ग्रा०)

(सतीश चन्द्र मिश्र)  
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

(ट्रॉ)